फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट - थाना मऊदरवाजा

दिनांक - 28.04.2026

थाना मऊदरवाजा पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित/नामजद 01 अभियुक्त को घटना के 24 घण्टे के अन्दर किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर, श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर, श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मऊदरवाजा पर पंजीकृत मु0अ0स0 163/2026 धारा 103(1) बीएनएस बनाम 01.ओमकार पुत्र रामसनेही निवासी ग्राम अर्राहपहाडपुर थाना मऊदरवाजा जनपद जनपद फतेहगढ व 01 अन्य पंजीकृत कर मुखबिर की सूचना पर वांछित/नामजद अभियुक्त ओमकार उपरोक्त को थाना मऊदरवाजा पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

01.ओमकार पुत्र रामसनेही नि0 ग्राम अर्राहपहाड़पुर थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ ।

घटना का संक्षिप्त विवरण- वादी श्री देवेन्द्र पुत्र रामनाथ निवासी ग्राम अर्राहपहाडपुर थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ ने दिनांक 28.04.2026 को थाना मऊदरवाजा पर प्रार्थना पत्र दिया कि अभियुक्तगण 01.ओमकार उपरोक्त व 01 अन्य द्वारा गाँव स्थित घर में जमीनी बंटवारे को लेकर उसके चाचा रामसनेही की हत्या कर दी गयी। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 163/2026 धारा 103(1) बीएनएस बनाम 01.ओमकार उपरोक्त व 01 अन्य पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में नामजद अभियुक्त ओमकार उपरोक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त ओमकार उपरोक्त ने पूछताछ करने पर अपने जुर्म का इकबाल करते हुए बताया कि पिता जी द्वारा जमीन को भतीजे के नाम कर देने के कारण पिता को मार दिया । शेष सफाई अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष देना बताया ।

अभियुक्त ओमकार उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 163/2026 धारा 103(1) बीएनएस थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली थाना मऊदरवाजा पुलिस टीम-

01. थाना प्रभारी श्री अजब सिंह
02. हे0का0 अनुज तिवारी
03. हे0का0 सरताज अहमद
04. हे0का0 सुभाष पाण्डेय
05. का0 विनीत
06. का0 अभिषेक

मीडिया सेल फतेहगढ़।